

C.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/धाना सं०

रसुई
०९

खाता

187

प्लॉट

126

रकबा

16 1/2

R.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/धाना सं०

रसुई
०९

खाता

72

प्लॉट

403

रकबा

00/1.50570

उक्त भूमि का जमाबंदी रसुई पिता जगन्नाथ साकिन
के नाम से C.S. नांग पंजी॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक
का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल
पदाधिकारी, बरवाडीह/लातेहार। के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 26 / 2008-09
द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान
रसीद निर्गत किया जा रहा था। वर्ष 2008-09 तक लगान रसीद निर्गत है। लगान
रसीद/खतियान की छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का
सत्यापित नक्शा संलग्न है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खारिज
वाद संख्या 26 / 2008-09 के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान
वर्ष 2008-09 तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
झारखंड रांची के पत्रांक 1704 दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में लगान रसीद निर्गत करने हेतु
चालू पंजी-॥ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की सुझाव दी जाती है। उक्त आदेश
किसी भी सक्षम न्यायालय के स्वत्व संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।

तदनुसार आदेश का उद्वरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।

आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपालन
प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।